



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 110-अ0प्र0(2ब) / पा0का0लि0 / 2012-36-विविध / 2ब / 2008

दिनांक: 31 दिसम्बर, 2012

## कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतदद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नियुक्त हेतु स्तम्भ संख्या-4 के अनुसार निगम को आवंटित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/ अभिसंसो/गृह जनपद सेवानिवृत्ति का दिनांक	सहायक अभियन्ता पद पर वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के पश्चात आवंटित निगम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रमा कान्त यादव 97115/जौनपुर 31.07.2024	उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-पंचम, झूसी अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-2, इलाहाबाद।	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी।

2— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3— प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।

4— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-५९१०-गोपन/पाकालि(०६)-२००१ दिनांक 11-६-२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

5— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन के ज्ञापांक २९००-प्रशि०-१०/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ०प्र० पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

6— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।

7— उपरोक्त सहायक अभियन्ता को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि निदेशक पद पर चयनित अधिकारी की किसी कारणवश उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तन/पदच्युत के फलस्वरूप कनिष्ठतम प्रोन्नत अधिकारी को उनके मूल पद सहायक अभियन्ता पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

## प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 110(१)अ०प्र०(२ब) / पा०का०लि० / 2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल, आगरा/मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-२)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०पा०ट्रा०न्मिशन का०लि०।
- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटर इकाई, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, कमरा नं०-४०७, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अनु सचिव (गोपन)/(प्रशिक्षण), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(सत्यानन्द दीक्षित)

उप सचिव

2प्र०